दिनांक 30 अगस्त 2022 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं का भिलाई निगम की टीम ने किया निरीक्षण, मिलने पर जुर्माना भी लगाया

भिलाईनगर/ भिलाई नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज शहर के प्रमुख बाजारों में श्री गणेश जी की प्रतिमा विक्रय वाले स्थानों पर निरीक्षण किया। सुपेला चौक , पाॅवर हाउस व रायपुर नाका में गणेश प्रतिमा बेचने वाले मूर्तिकारों के यहां निरीक्षण किए , इस दौरान रास्ता बाधित करने वाले दुकानदारों को भी हिदायत दी गई। पाॅवर हाउस मार्केट के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ का भी निरीक्षण किया गया। प्लास्टर आफ पेरिस की प्रतिमाएं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं, आसानी से जल मे घुलनशील नहीं हैं कई पहलुओं में हानिकारक होने के कारण आज भिलाई निगम की उड़नदस्ता टीम ने गणेश जी के मूर्ति विक्रय करने वाले दुकानों के.एन. मोहनराव, जीतू आर्ट , राजू यादव , राकेश गुप्ता , राहूल गुप्ता , मीना देवी , रामापाल, धरमवीर शर्मा , राजकिशोर, राजकुमार विश्वकर्मा, कृष्णा पाल सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर मूर्तियों का निरीक्षण किए जहां मिटटी से बनी मूर्तियां पाई गई तथा सभी को बताया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विक्रय न किया जावे। सुपेला में निरीक्षण के दौरान अमित लाल के दुकान में एक नग प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा विक्रय के लिए रखी हुई थी जिस पर निगम ने दुकानदार से 300 रुपए का जुर्माना लगाया , इसी तरह से सुपेला में मंजू से 500 एवं मगर राव से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया। आज की कार्रवाई में स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह एवं वीरेंद्र बंजारे आदि मौजूद रहे। नगर पालिक निगम भिलाई आम नागरिकों से अपील करता है कि जब भी श्री गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए बाजार क्षेत्रों में निकले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा न खरीदें हालांकि यह वजन में हल्की होती है परंतु पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है।